HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 6622/2026

Jashoda Bai W/o Shri Mahendra Yadav, Aged About 48 Years, R/o Jagjeevanram Colony, Baran, Police Station Kotwali, Baran, District Baran (At Present Confined In Central Jail Baran (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Akshit Raj Saini with Mr. Abhishek B.Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/04/2026

प्रार्थिया–अभियुक्ता ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली, जिला–बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 44/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29, 8/30 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह द्वितीय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

प्रार्थिया–अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2026 को निरस्त किया गया था।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया–अभियुक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थिया का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2026 को निरस्त होने के बाद अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। वह दिनांक 15.1.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के सहअभियुक्त शाकिर को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थिया–अभियुक्ता के आधिपत्य से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है तथा जो

मादक पदार्थ सहअभियुक्तगण से बरामद होना बताया गया है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थिया–अभियुक्ता अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गिरोह बनाकर उन्हें स्मैक बेचती थी, जिन्हें वे ऐविल के इन्जेक्शन के साथ बेचते थे। प्रार्थिया–अभियुक्ता पर यह अभियोग है कि उसने सहअभियुक्त अनवर को 6 ग्राम स्मैक दी थी। पूर्व में प्रार्थिया का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों मे कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। गंभीर अपराध है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो मादक पदार्थ 6 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रार्थिया–अभियुक्ता महिला है तथा वह दिनांक 15.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वर्तमान मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत यह द्वितीय प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि वह भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगी, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया–अभियुक्ता इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थिया–अभियुक्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगी। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण

न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। प्रार्थिया–अभियुक्ता द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /1